न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 373/2021
जीसीएमएस सं. – 2021/386

–:: प्रार्थी ::–
1. ताराचन्द पुत्र सोनाराम
2. सोनाराम पुत्र मंगलाराम
सभी जातियान माली निवासीगण
पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर ।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–
1. बंशीलाल पुत्र मंगलाराम
2. हीरालाल पुत्र मंगलाराम
3. घनश्याम पुत्र सोनाराम
4. जगदीश पुत्र सोनाराम
5. मांगीलाल पुत्र प्रतापराम
6. रूगनाथ पुत्र प्रतापराम
सभी जातियान माली निवासी
चिमनाबाड़ी पीपाड़ शहर तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
7. प्रबधंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 02.07.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री राजेन्द्र देवड़ा, अभिभाषक, प्रार्थीगण
2. श्री हिम्मताराम गहलोत, अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 1, 2, 5, 6

निर्णय

दिनांक : 28.12.2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53. 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण के विरुद्ध बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है जिसमें वादीगण / प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 2568 रकबा 8.5511 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2568 / 1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2568 / 2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर कुल खसरे तीन कुल रकबा 8.6320 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 1915 रकबा 2.6050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1917 रकबा 2.1762 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2504 राम रकबा 2.0710 हैक्टेयर कुल खसरा तीन कुल रकबा 6.8522 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2568, 2568 / 1, 2568 / 2 के प्रार्थी संख्या एक

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

व अप्रार्थी संख्या एक से छः अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार है उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या एक का 1/18 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या एक का 1/6 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/6 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या तीन का 1/18 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या चार का 1/18 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या पांच का 1/4 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या छः का 1/4 वां हिस्सा कानूनन निहित है। उक्त हक हिस्से अनुसार प्रार्थी संख्या एक व अप्रार्थी संख्या एक से छः वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर सहूलियत अनुसार काश्त कार्य करते आये है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या तीन में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1915 1917 2504 भूमि के प्रार्थी संख्या दो व अप्रार्थी संख्या एक व दो अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या दो का 1/3 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या एक का 1/3 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/3 वां हिस्सा कानूनन निहित है। उक्त हक हिस्से अनुसार प्रार्थी संख्या दो व अप्रार्थी संख्या एक व दो वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज होकर सहूलियत अनुसार काश्त कार्य करते आये है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो व तीन में वर्णित वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से छः संयुक्त रूप से काबिज होकर सहूलियत काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि होने से वादग्रस्त भूमि के रामप्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार काश्तकार का समान हक व हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर सहुलियत अनुसार अलग अलग काश्त कार्य करते आये है वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से छः के मध्य माप व सीमांकन के बंटवाडा किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग से तरमीम की जायें। दिनांक 01.07.2021 को अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर आया व प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की वादग्रस्त भूमि सामलाती है, इसलिए प्रार्थीगण को काश्त कार्य नहीं करने देगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। इस पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण से अत्यधिक नाराज हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी की इस वर्ष वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देगे एवं मौके की किमती भूमि पर कब्जा करके रहेंगे व निर्माण कार्य करके रहेंगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका आज दिन तक माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नही है जिसके प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। इस पर यह बाद बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि रही है जिस पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त है अगर अप्रार्थीगण ने अविभाजित वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवाड़ा करवायें ही मौके की कीमति भूमि पर कब्जा कर लिया तो एवं प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने दी तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयी पैसों में आंका नहीं जा सकेगा तथा प्रार्थीगण के जायज खातेदारी अधिकारो का हनन होगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
तहसील शहर (जोधपुर)

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2568 रकबा 8.5511 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2568 / 1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नबंर 2568 / 2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी संख्या एक के 1/18 वां हक व हिस्से की भूमि में एवं खसरा नंबर 1915 रकबा 2.6050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1917 रकबा 2.0710 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2504 रकबा 2.0710 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी संख्या दो के 1/3 वां हक व हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करायें अप्रार्थीगण मौके की किमती भूमि पर कब्जा नहीं करें, न कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनायें रखें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमायें।

हमने प्राथी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1,से 6 की ओर से वकील हिम्मताराम गहलोत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, अप्रार्थीगण सं. 7, 8 फोरमल पक्षकार है। अप्रार्थीगण सं. 2 की ओर से हिम्मताराम गहलोत ने जवाब प्रस्तुत नही किया । उनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4, 5, 6 की वकील हिम्मताराम गहलोत ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो इस प्रकार से है कि :– वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2568, 2568/1, 2568/ 2 वाली भूमि में मौके पर प्रार्थी संख्या एक ताराचन्द व अप्रार्थी संख्या एक से छह शांतिपूर्वक काबिज काश्त है एंव मौके पर अपने अपने बंट अनुसार मौखिक बंटवाड़ा कर काश्त कार्य करते आ रहे है एंव अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2568 2568/1 2568 / 2 वाली भूमि में (प्रार्थी संख्या एक ताराचन्द व अप्रार्थी संख्या एक से छह द्वारा मौखिक बंटवाडे अनुसार रास्ता इत्यादि छोड़कर अपनी अपनी भूमि पर काबिज हो गये तथा अपने अपने बंट की भूमि में घोरा पाळी, पत्थर की पट्टीयाँ इत्यादि लगाकर अपने अपने खेतो की सुरक्षा हेतु तारबंदी भी करवा रखी है एव खातेदारान का अपने अपने बंट व कब्जे की भूमि में चारा, पुळा, बलीता इत्यादि पड़ा है एंव खातेदारान ने अपनी बंट की भूमि पर रहवासीय मकानात व बाड़ें भी बना रखे है जिसमें परिवार सहित निवास करते हैं। उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है जिसमें पक्षकारान शांतिपूर्वक काबिज है एवं अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा बरसात के समय अप्रार्थीगण मौके पर छोड़े गये रास्तों से होकर ही ट्रेक्टर ट्रॉली इत्यादि लातें ले जाते आये है एंव अपने अपने बंट की भूमि में बुवाई इत्यादि कर काश्त कार्य करते है तथा फसल अवेर कर लाटा इत्यादि लेते आये हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2568, 2568 / 1. 2568 / 2 में मौके पर प्रार्थी संख्या एक ताराचन्द व अप्रार्थी संख्या एक से छह ने मौखिक बटवाड़ा में प्राप्त अपने अपने बंट व काश्त वाली भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक से छह ने मौखिक बंटवाडे अनुसार अपनी भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर तारबंदी, पट्टीयाँ इत्यादि रोपी है एवं खाद इत्यादि डालकर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1915 1917 2504 वाली भूमि प्रार्थी संख्या दों

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

व अप्रार्थी संख्या एक व दो की खातेदारीशुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी संख्या दों व अप्रार्थी संख्या एक व दो अपने अपने बंट व कब्जें काश्त की भूमि पर काबिज काश्त है एंव अपने उपयोग उपभोग में लेते आये है। खातेदारान द्वारा अपने अपने बंट व कब्जें की भूमि पर तारबंदी, जाली इत्यादि की हुई है एवं लाखों रूपये खर्च कर जमीन उपजाऊ बनाने के लिए खाद इत्यादि डाल रखा है। उक्त खसरा नंबर 1915 1917 2504 वाली भूमियों का कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए रास्ता इत्यादि छोड़कर बंटवाडा किया जावे। वादग्रस्त भूमियाँ खसरा नंबर 2568. 2568/1, 2568 / 2 वाली भूमियों को मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व मौखिक बंटवाड़ा अनुसार माप व सीमांकन के बंटवाडा किया जाना उचित है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1915 1917. 2504 कब्जे काश्त की भूमि है उक्त खसरा नबंर 1915 1917 2504 वाली भूमियों का कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए रास्ता इत्यादि छोड़कर बंटवाडा किया जाये। वर्णित तमाम वाक्याश मिथ्या बनावटी हैं। उक्त दिनांक 01.7. 2021 को अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से मिलें ही नहीं हो धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थीगण कतई वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने पर आमादा नही हुए है एंव न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल पैदा की है। प्रार्थीगण ने झूठ व मनगढत तथ्य अंकित कर उक्त असदभाविक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमियाँ खसरा नंबर 2568. 2568/1 2568/2 वाली भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया जा चुका है एवं पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर कब्जे अनुसार शांतिपूर्वक काबिज है एंव अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1915, 1917, 2504 कब्जे काश्त की भूमि है उक्त खसरा नंबर 1915, 1917, 2504 वाली भूमियों का कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए रास्ता इत्यादि छोड़कर बंटवाडा किया जाये। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति नही हो रही है क्योंकि मौके पर किसी प्रकार का वाद विवाद नही है इसलिए प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मिथ्या बनावटी आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जावें कि ग्राम पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2568 रकबा 8.5511 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2568 / 1 रकबा 0.0566 हैक्टेयर, खसरा नबंर 2568 / 2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी संख्या एक के 1/18 वां हक व हिस्से की भूमि में एवं खसरा नंबर 1915 रकबा 2.6050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1917 रकबा 2.0710 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2504 रकबा 2.0710 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी संख्या दो के 1/3 वां हक व हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वयं दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करायें अप्रार्थीगण मौके की किमती भूमि पर कब्जा नहीं करें, न कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें। राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति अप्रार्थीगण बनायें रखें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमायें जाने का निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पक्ष में किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही है क्योंकि वादग्रस्त भूमियाँ खसरा नंबर 2568. 2568/1 2568/2 वाली भूमि का मौके पर बंटवाड़ा किया जा चुका है एवं पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर कब्जे अनुसार शांतिपूर्वक काबिज है एंव अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1915, 1917, 2504 कब्जे काश्त की भूमि है उक्त खसरा नंबर 1915, 1917, 2504 वाली भूमियों का कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए रास्ता इत्यादि छोड़कर बंटवाडा किया जाये। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति नही हो रही है क्योंकि मौके पर किसी प्रकार का वाद विवाद नही है इसलिए प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मिथ्या बनावटी आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज फरमाने योग्य है जो खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तोवजो का परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन स्पष्ट है कि ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा नम्बर 2568, 2568/1, 2568/2, 1915, 1917, 2504 में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 6 सहखातेदार काश्तकार है एवं प्रत्येक खातेदार के स्वयं के अधिकार होते हे। एक सहखातेदार के विरूद्ध अन्य सहखातेदार को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करना न्यायालय न्यायोचित नही समझता है। प्रथम दृष्टयता प्रार्थी सिद्ध करने में असफल रहे है कि उक्त खसरान के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की आवश्यकता क्यो है, व न ही प्रार्थीगण यह सिद्ध कर पाए है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि से काश्त करने से रोक रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर